बिहार सरकार

विधि विभाग

।। आदेश ।।

आ0सं0-जी0/बी0टी0-30-20/2017/.....88..../जे0 पटना, दिनांक ..16/03/18.......

फैक्स/ई-मेल

विधि विभागीय **ज्ञाप सं0-105/जे0 दिनांक**-07.04.2017 के द्वारा निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट, पटना को वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2017-18** के लिए आय-व्ययक के विभिन्न विषयशीर्षो में कुल स्वीकृत उपबंध की राशि 7,53,48,000/-**(सात करोड़ तिरपन लाख अड़तालीस हजार)** रुपये को नियमानुसार व्यय करने हेतु निधि आवंटित की गई है।

2. निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट, पटना से प्राप्त पत्र **संख्या-928, दिनांक-16.03.2018 से 28.02-संविदा सेवाएँ** मद में आवंटित निधि 79,75,000/-**(उनासी लाख पचहत्तर हजार)** रुपये में से 18,00,000/-**(अठारह लाख)** रुपये तथा 13.04-विद्युत प्रभार में आवंटित निधि 60,00,000/-(साठ लाख) रूपये में से **24,00,000/-(चौबीस लाख) रूपये कुल-42,00,000/-(बियालीस लाख)** रूपये पुनर्विनियोग के माध्यम से 20.03-प्रशिक्षण व्यय विषयशीर्ष में अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तद्नुसार संविदा सेवाएँ विषयशीर्ष में स्वीकृत उपबंध/आवंटन की राशि **79,75,000/-(उनासी लाख पचहत्तर हजार)** रुपये में से **18,00,000/-(अठारह लाख)** रुपये तथा विद्युत प्रभार में आवंटित निधि **60,00,000/-(साठ लाख) रूपये में से 24,00,000/-(चौबीस लाख)** का आवंटन रदद् किया जाता है। फलतः संविदा सेवाएँ विषयशीर्ष तथा विद्युत प्रभार विषयशीर्ष में क्रमशः **61,75,000/-(इकसठ लाख पचहत्तर हजार) तथा 36,00,000/-(छत्तीस लाख रूपये)** ही आवंटित रहेगी।

3. अतएव वर्णित स्थिति में उक्त विधि विभागीय **ज्ञाप सं0-105/जे0 दिनांक**-07.04.2017 द्वारा संसूचित आवंटन आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है तथा उक्त आवंटन आदेश के अन्य तथ्य एवं शर्ते यथावत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 16/3/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

आ0सं0-जी0/बी0टी0-30-20/2017/.....88..../जे0 पटना, दिनांक ..16/03/18.......

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, उप कोषागार, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 16/3/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

आ0सं0-जी0/बी0टी0-30-20/2017/.....88..../जे0 पटना, दिनांक ....16/03/18....

प्रतिलिपिः प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 16/3/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

आ0सं0-जी0/बी0टी0-30-20/2017/.....88..../जे0 पटना, दिनांक ..16/03/18.......

प्रतिलिपिः महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 16/3/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

आ0सं0-जी0/बी0टी0-30-20/2017/.....88..../जे0 पटना, दिनांक ....16/03/18....

प्रतिलिपिः-निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट, पटना को उनके पत्रांक-928, दिनांक-16.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया संविदा सेवाएँ विषयशीर्ष मद में पूर्व में आवंटित राशि का इस आदेश के आलोक में प्रत्यर्पण कराकर इसकी सूचना भेजने की कृपा की जाय। तदुपरांत ही वित्त विभाग को पुनर्विनियोग के माध्यम से उपबंध की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजना संभव होगा।

ह0/- 16/3/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

E:\Sanjeet Kumar\SEC\Office Order.doc